न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 178/2021 राजस्व वाद

1. कंकु पत्नि श्री छोगा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
2. मांगु पुत्री श्री प्रताप जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0 —— **वादीगण**

बनाम

1. नेनु पुत्री श्री छोगा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
2. मीठा पुत्री श्री छोगा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
3. रामा पुत्रश्री गिरधारी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
4. सन्ता पुत्री श्री छोगा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
5. उदयलाल पुत्र श्री गेना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
6. नाथी पत्नि श्री गेना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
7. भीमा पुत्र श्री प्रताप जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा राज0
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

——— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिंह तंवर, —अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुनिल सिंह —अधिवक्ता प्रतिवादीगण
2. पेरोकार सरकार —उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक– 11.02.2023

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे खाता संख्या–13 की आराजी नं. 682/174 रकबा 0.2150 हैक्टर व खाता संख्या–134 में आराजी नं. 615/174 रकबा 0.2276 हैक्टर भूमी में से 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन कर कब्जा सिपुर्द किया गया। बाद आवंटन आवंटित आराजियात के नये आराजी नम्बर 615/174 व 682/174 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमी वादीगण के नाम पर दर्ज की गयी, जो वादीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। हाल ही में वादीगण द्वारा मौके पर आकर देखा तो ज्ञात हुआ कि वादीगण उक्त आराजियात पर अन्य गांव के ही व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर शमसान भूमि के लिए वादीगण की भूमि को उपयोग में लिया जा रहा है। और जब वादीगण द्वारा इस हेतु पटवार हल्का गोरख्या से जानकारी की तो वादीगण को जानकारी में आया कि उक्त आराजियात पर अतिक्रमण हो रखा है एवं शमसान भूमि हेतु उपयोग किया जा रहा है। यह कि वादीगण की आराजी नं. 615/174 [illegible] 682 [illegible] 0.1897 हैक्टर भूमि का उपयोग–उपभोग शमशान भूमि हेतु किया जा रहा है, वा[illegible] [illegible]व के लोगों को कई बार उक्त भूमि का कब्जा हटाने के लिए निवेदन किया [illegible] गांव वालों [illegible] कि हम शमसान भूमि के लिए उपयोग–उपभोग करते रहेंगे। वादीगण [illegible] 682/174 [illegible] बदले क्षतिपूर्ति स्वरूप अन्य आराजी नं. 5 में भूमि आवंटित की [illegible] तो वादीगण इस पर [illegible] है। अतः वादीगण को आराजी नं. 615/174 च 682/174 के स्थान पर अन्य आराजी नं. 5 के बदले जमीन के बदले जमीन आवंटन कर वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:24:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जारी किए गए। प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित एवं वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया कि ग्राम बरावलों का खेडा की खातेदारी भूमि में आराजी नम्बर 615/174 रकबा 0.2276 हैक्टेर भूमि में से 0.1138 हैक्टेर व आराजी संख्या-682/174 रकबा 0.2150 हैक्टेर किस्म बंजड में से 0.0759 हेक्टैयर भूमि कुल किता 2 रकबा 0.1897 हेक्टेयर भूमि पर खातेदारी भूमि में शमसान (समाधियां) बनी हुई है, इसके बदले ग्राम बरावलों का खेडा के आराजी नम्बर 5 रकबा 1.6820 हेक्टेर में से 1.0117 हेक्टेर भूमि किस्म बंजड की क्षतिपूर्ति हेतु की जा सकती है जो सलंग्न नक्शानुसार रहेगी। उक्त खातेदारी शमसान भूमि ग्राम बरावलों का खेडा की आबादी से नजदीक व बरावलों का खेडा-निम्बाहेडा पक्की सडक से निकट होने से अधिक मूल्यवान होने से खातेदारान को उसके बदले में अधिक भूमि आवंटन किया जाना उचित है।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं वादीगण को क्षतिपूर्ति स्वरूप जमीन के बदले जमीन विधिक प्रक्रिया अनुसार आवंटन/नियमन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवः

आदेश

अतः सरहद बरावलों का खेडा पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नं. 682/174 रकबा 0.2150 हैक्टेर किस्म बंजड में से 0.0759 हैक्टेर, 615/174 रकबा 0.2276 हैक्टेर में से 0.1138 हैक्टेर भूमि कुल किता 2 रकबा 0.1897 हैक्टेर भूमि को वादीगण के खातेदारी हक-अधिकार से कम करते हुए बिलानाम दर्ज कर किस्म शमसान दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण क्षतिपूर्ति स्वरूप विधिक प्रक्रिया अपनाकर जमीन के बदले जमीन आराजी नं. 5 रकबा 1.6820 हेक्टैर में से आवंटन/नियमन किये जाने व उसी अनुसार खातेदारी हक से दर्ज किये जाने के अधिकारीणी हैं। निर्णय अनुसार डिकी जारी हो, खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को लोक अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा, भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:24:27 IST
Reason: SelfAttested